राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग–6)

क्रमाक एफ. 14(40)ग्रावि / अनु0–6 / 99 जयपुर,,दिनांक 21 नवम्बर,2006

'' विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ''– परिपत्र

विधायक स्थानीय क्षेत्र विका सयोजना के दिशा–निर्देशों के प्रावधान संख्या 3.10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं :–

3.10 योजनान्तर्गत कार्य सामान्यतः विभाग स्तर पर करवाये जायेंगे , लेकिन तकनीकी दृष्टि से /विशेष परिस्थितियों में कार्य ठेके पर कराये जा सकेंगे , जिसकी स्वीकृति, स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा औचित्य सहित जारी की जायेगी । सामान्यतः 5.00 लाख रू. तक के कार्यो पर टेण्डर प्रीमियम अनुमत नहीं होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में जिला दर निर्धारण समिति प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान 13 के अनुसार अनुमति दे सकेगी तथा 5.00 लाख रूपयें से उपर के कार्यो पर प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान 13 के अनुसार टेण्डर प्रीमियम अनुमत होगा। ये प्रावधान समय–समय पर ग्रामीण कार्य निर्देशिका मे होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप होंगे ।

(रोहित कुमार सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राजस्थान ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ।
5. जिला कलक्टर, समस्त ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(समस्त)

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)